

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ऑनलाइन/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय 28.06.2017 को सांय 5.00 बजे तक वित्तीय आस्तियों का प्रतिशूलिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभागित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। चूंकि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न विवरणातुसार बैंक की बकाया राशि लज्जा व्याज की वसूली हेतु “जीसे है जैसा है” के आधार पर तथा “जैसे है जैसा है” के आधार पर पर” सम्पत्ति की बिक्री करने का अधिकार के साथ निम्न राशि खाते में प्रतिशूलि व्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिशूलिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत सूचना जारी करने के निम्न सम्पत्तियों पर सांकेतिक काजा कर लिया है और चूंकि इस बकाया राशि का भुगतान न कर पाने के परिणाम स्वरूप, उक्त अधिनियम 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताकारी ने उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा की भुगतान का प्रस्ताव किया है। अधोहस्ताकारी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर उपलब्ध करवाएं गये ई-नीलामी लेटफार्म के जरिये की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

| क्र. सं. | शाखा एवं खातेदार का नाम | सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम | बकाया राशि व डिमांड नोटिस की तिथि | ईएमडी जमा करने का खाता विवरण एवं आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी 10% |
|----------|--|--|--|--|
| 1. | कैलाशपुर ऋणी: गुरुमीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह व श्रीमती कौशल्या रानी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी: 4/2282 ज्वाला नगर, सहारनपुर-247001। गरन्टर: श्री कुलदीप अरोरा पुत्र राम चन्द अरोरा, निवासी: ई-9, केशव नगर, सहारनपुर-247001 | सिंगल स्टोरी आवासीय मकान प्लाट नं 127, खसरा नं-0-97/1, 97/2, 98, 99 व 100 वेक ग्राम उगराहू मुस्ताकाम परगाना हरोरा, शत्रुघ्ननपुरी कॉलोनी कैलाशपुर, सहारनपुर। सीमावें-उत्तर: प्लाट नं 0 124, दक्षिण: प्लाट नं 0 128, पूरब: प्लाट नं 0 126, पश्चिम: रास्ता 17 फीट चौड़ा, सम्पत्ति स्वामी गुरुमीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह। | 08.11.2011 रु. 8,39,103/- + व्याज व अन्य खर्च दिनांक 31.03.2010 | रु. 55000/- रु. 55000/- A/c No : 11121015020019 A/c Name: Neft Payable Account UCO BANK Name of the Beneficiary: AUTORISED OFFICER UCO BANK IFSC Code : UCBA0001112 |
| 2. | कैलाशपुर ऋणी: श्री कुलदीप सिंह अरोरा पुत्र श्री राम चन्द व श्रीमती पवन अरोरा, गरन्टर: श्री गुरुमीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी: रुड़की कैम्प गैगाल नगर, सहारनपुर | सिंगल स्टोरी आवासीय मकान प्लाट नं 128, खसरा नं-0-97/1, 97/2, 98, 99 व 100 वेक ग्राम उगराहू मुस्ताकाम परगाना हरोरा, शत्रुघ्ननपुरी कॉलोनी कैलाशपुर, सहारनपुर। सीमावें-उत्तर: प्लाट नं 0 127, दक्षिण: प्लाट नं 0 131, पूरब: प्लाट नं 0 129, पश्चिम: रास्ता 17 फीट चौड़ा। सम्पत्ति स्वामी श्री कुलदीप सिंह अरोरा पुत्र श्री राम चन्द व श्रीमती पवन अरोरा, | 08.11.2011 रु. 8,98,043/- + व्याज व अन्य खर्च दिनांक 31.03.2010 | रु. 55000/- रु. 55000/- A/c No : 11121015020019 A/c Name: Neft Payable Account UCO BANK Name of the Beneficiary: AUTORISED OFFICER UCO BANK IFSC Code : UCBA0001112 |
| 3. | कैलाशपुर ऋणी: श्री कमल राज सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह व श्रीमती सुरजीत कीर पत्नी श्री कमलराज सिंह, निवासी: मकान नं 4227, अमरदीप कालोनी, जनता रोड, सहारनपुर-247001, गरन्टर: श्री दीपलि सिंह पुत्र श्री सवा सिंह, निकाजे जेल छुंगी, सहारनपुर-247001 | सिंगल स्टोरी आवासीय मकान प्लाट नं 81, खसरा नं-0-97/1, 97/2, 98, 99 व 100 वेक ग्राम उगराहू मुस्ताकाम परगाना हरोरा, शत्रुघ्ननपुरी कॉलोनी कैलाशपुर, सहारनपुर। सीमावें-उत्तर: आवासीय भवन प्लाट नं 80, पूरब: 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति। सम्पत्ति स्वामी श्री कमल राज सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह व श्रीमती सुरजीत कीर पत्नी श्री कमल राज सिंह, निवासी: मकान नं 4227, अमरदीप कालोनी, जनता रोड, सहारनपुर-247001। सिंह पुत्र श्री सवा सिंह, निकाजे जेल छुंगी, सहारनपुर-247001 | 29.11.2012 रु. 5,28,766/- + व्याज व अन्य खर्च दिनांक 31.05.2012 | रु. 55000/- रु. 55000/- A/c No : 11121015020019 A/c Name: Neft Payable Account UCO BANK Name of the Beneficiary: AUTORISED OFFICER UCO BANK IFSC Code : UCBA0001112 |

ई-नीलामी की दिनांक 29.06.2017 समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (5 घण्टे प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) टेंडर जमा करने की अन्तिम तिथि 28.06.2017 समय सांय 05:00 बजे।

नियम व शर्तेः - 1. ई-नीलामी “जीसे है जैसा है” तथा “जैसे है जो है के आधार पर” की जा रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दो वेक/अधिकारी/बकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। ई-नीलामी विवादान बैंक की किसी भी प्रतिशब्दता या प्रतिनिधित्व या प्रतिशिद्धित को गाठत नहीं करेगा और गाठित करने के लिए माना नहीं जायेगा। 3. सम्पत्ति बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी मौजूदा तथा विश्वासग्राहकारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता की सभी तीसरी पार्टी के दो वेक/अधिकारी/ड्यूजुन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेवारी नहीं होगी। 4. बोलीदाता जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनियोग देने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने तक नियरिक्षण करने की विधियां विनियोग करने की तिथि से दस्तावेज व ईएमडी जमा करने की अनुमति प्रकाशन की तिथि तक कार्य दिवारों के द्वारा रुपय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक स्थल पर ही इच्छुक बोलीदारों को जो जाएगी। 4. इच्छुक विवादान वेक पोर्टल <https://ucobank.auctiontiger.net> के माध्यम से अपना ईएमडी 10 जमा करें, यूजर आईडी 10 एवं पासवर्ड <https://ucobank.auctiontiger.net> पर लॉगिन कर के लिए शुरू प्रातः करिया जा सकता है। EMD का मुद्रानां **NEFT/RTGS** द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में देगा। कृपया ध्यान दें वेक/डिमांड ड्राइपर्ट ईएमडी राशि के तौर पर स्वीकार्य नहीं होंगे। 5. वेकपोर्टल में बोलीदारों रेजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्याशित बोलीदार/खरीदारदाता को बोली जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेक पोर्टल पर अपलोड किये गये नियम दस्तावेजों की प्रतियोगी प्राप्त करना अनिवार्य है। 1.) अर्थात् एन.ई.-एफ.टी./आर.टी.जी.-एस. वालान की प्रति 2.) पैन कार्ड की प्रति 3.) पहचान प्रमाण (के.वाई.सी.) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की वस्त्रस्वाप्ति प्रति 4.) आवास प्रमाण की प्रति, जिसके बोली रह रही थी जायेगी। 5. विधित भरी द्वारा द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद वर्षीश्ट II व III (निवाद सूचना में निर्दिष्ट) की स्कैन की हुई प्रतिक्रिया वेक पोर्टल <https://ucobank.auctiontiger.net> पर करायी जाएगी। 6. इच्छुक बोलीदाता जिवंह लॉगिन आईडी व पासवर्ड करें। 6. इच्छुक बोलीदाता जिवंह लॉगिन आईडी व पासवर्ड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशंसित विवरण में देगा। 7. अपलोड करें। 7. इच्छुक बोलीदाता जिवंह लॉगिन आईडी व पासवर्ड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशंसित विवरण में देगा। 8. जिसके बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया में अपलोड करने के बाद वेक/अधिकारी/बकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करवा दें। 9. बोलीदाता विवेक सम्पत्ति के सामने “बोली वृद्धि राशि” कालम के तहत नियरिक्षण राशि के गुणक में अपने ऑफर बढ़ायेंगे। यदि बोली ई-नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम समय के अंतिम 5 मिनट में राशी जारी है, तो अंतिम समय स्वयं 5 मिनट (असीमित विस्तार) के लिए बढ़ जाएगा। 10. बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया में अपलोड करने के बाद वेक/अधिकारी/बकाया की स्वयं स्वतंत्र जांच करवा दें। 11. प्रत्याशित योग्यता प्राप्त बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पूर्व **मैसर्स ई-प्रोक्लोमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड**, ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशंसित विवरण का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/वेक अथवा **मैसर्स ई-प्रोक्लोमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड**, ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे और इच्छुक बोलीदाता सुनिश्चित कर लें कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से सुनिश्चित हैं। 12. खरीदार लागू स्टॉप ड्यूटी/हस्तान्तर प्रभार फीस इत्यादि को वहन करेगा और वह सभी और वह सभी संवैधानिक देवायों, दरों और भूमिकान के अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा ग्राही की राशि को वहन करेगा। 13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए वायां नहीं हैं और उसके पास बोली कोई कारण वालाला ई-नीलामी की स्थगन व विलंबन नियरिक्षण या किसी भी भाँति व्यवहार करने की अनुमति को पुनः देना जाएगा। 14. बोलीदाता जमा की गई राशि जत्कर कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः देना जाएगा और वह सभी ऋणदाता व बोलीदाता की सम्पत्ति के संबंध में कोई व्यवहार नहीं होगा। 15. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खड़ के अंदर होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 16. बोली में अंतिम समय में बोलीदाता के द्वारा उपलब्ध करवाने की विधियां जारी की जायेगी। 17. बोलीदाता जमा करवाने से पूर्व तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व **मैसर्स ई-प्रोक्लोमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड**, ई-नीलामी पर उपलब्ध विवरण का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/वेक अथवा **मैसर्स ई-प्रोक्लोमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड**, ई-नीलामी पर उपलब्ध विवरण का लाभ उठा सकते हैं।

उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धकर्ता को नियम 8(6) के सिवयुरिटी इन्टरेस्ट (इफ्फोर्सेमेंट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना

उपरोक्त उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धकर्ता को नोटिस दी जाती है कि वह ई-नीलामी से पूर्व अपना कूल बकाया व्याज एवं अन्य खर्चों सहित जमा कर दें। इसमें असफल होने पर उन सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जायेगी।

दिनांक : 22.05.2017

प्राधिकृत अधिकारी